

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैंक्स नं.-0141-2222403)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/17/16371

दिनांक : 27/7/17

—:आदेश:—

श्री अनुज कुमार शर्मा, फायरमैन, नगर पालिका, रामगढ शेखावाटी का तुरन्त प्रभाव से नगर परिषद, सीकर में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।



(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त

शासन सचिव

दिनांक : 27/7/17

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/17/16372-81

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. सभापति/ आयुक्त/ अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी/निगम परिषद / पालिका / सीकर/ रामगढ शेखावाटी।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. श्री अनुज कुमार शर्मा, फायरमैन, नगर पालिका, रामगढ शेखावाटी।
6. सुरक्षित पत्रावली।



(अलका मीणा)

अतिरिक्त निदेशक